Speed Post

Government of India
National Commission for Scheduled Tribes

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

**File No. SKD/6/2018/STGOR/DEOTH/RU-III** **Date: 28.03.2019**

To,

The Additional Chief Secretary,
Home Department Govt. of Odisha,
Secretariat, Bhubaneswar

**Sub: Proceeding of sitting taken by Hon'ble Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes, (NCST) on. 12.02.2019** in the matter of Representation dated 22.05.2018 of Shri Sukanta Kumar Das, General Secretary, Odisha SC&ST Tribe Employees Welfare Co-Ordination Council, Secretariat Branch, Bhubaneswar, Odisha regarding Fixation of seniority in Asst. Section Officer gradation list of 2015 in the Home Department of Odisha Secretariat

**Sir,**

I am directed to enclose herewith a copy of Proceedings of the sitting taken by Dr. Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes (NCST) on 12.02.2019 for information and necessary action.

**It is, requested that action taken report in this regard may please be sent to the Commission within 15 days.**

Encl: As above

**Yours faithfully,**

28/3/2019

**(Dr. Lalit Latta)**
**Director**

**Copy to:**

1. Shri Sukant Kumar Das, General Secretary,
   Odisha SC&ST Tribe Employees Welfare Co-Ordination Council,
   Secretariat Branch, Bhubaneswar, Odisha

2. PS to Hon'ble Vice Chairperson, NCST
3. SAS, NIC, NCST upload on the web site.

## राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(SKD/6/2018/STGOR/DEOTH/RU- III)

श्री सुकांत कुमार दास, महासचिव ओडिशा एससी-एसटी कर्मचारी कल्याण सहयोग आयोग, सचिवालय शाखा, भुवनेश्वर, ओडिशा द्वारा ओडिशा सचिवालय के गृह विभाग में 2015 के पद-क्रम सूची में सहायक अनुभाग अधिकारी की वरिष्ठता निर्धारित के संबंध में आयोग को दिए गए अभ्यावेदन के मामले में श्री नन्द कुमार साय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 12/02/2019 को आयोग में आयोजित सिटिंग का कार्यवृत्त।

बैठक की तिथि : 12/02/2019

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट 'क'

---

1. श्री सुकांत कुमार दास द्वारा ओडिशा सचिवालय के गृह विभाग में वर्ष 2015 की पद-क्रम सूची में सहायक अनुभाग अधिकारी (पूर्व में कनिष्ठ सहायक) की वरिष्ठता निर्धारित करने के संबंध में आयोग में अपना अभ्यावेदन दिया था जिस पर संज्ञान लेते हुए दिनांक 23/08/2018 को अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, ओडिशा सचिवालय, भुवनेश्वर को नोटिस जारी किया गया था।
2. संबंधित विभाग द्वारा कोई जवाब प्राप्त नहीं होने पर दिनांक 05/11/2018 को स्मरण पत्र भेजा गया था। विभाग से कोई जवाब प्राप्त नहीं पर पुनः स्मरण पत्र भेजा गया।
3. मामले में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 12/02/2019 को 4.00 बजे सिटिंग निर्धारित की गई थी जिसके लिए संबंधित विभाग व अभ्यावेदक को दिनांक 24/01/2019 को सिटिंग नोटिस भेजा गया था।
4. मामले में दिनांक 08/02/2019 को अतिरिक्त सचिव, ओडिशा सरकार का पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें बताया गया है कि वर्ष 1991-92 के लिए ओडिशा लोक सेवा आयोग को नियुक्तियों की दो अलग-अलग मांग जारी की गई थी जिसमें 100 पूर्ववर्ती (बैकलॉग)

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

रिक्तियां (अनुसूचित जाति – 36, अनुसूचित जनजाति – 64) थीं और इसके अतिरिक्त 200 रिक्तियां अन्य थी जिसमें (अनारक्षित- 54, एसईबीसी- 54, एससी- 33, एसटी- 45, पीएच-6, ईएक्सएम-6 और स्पोर्ट्स-6) था।

5. ओडिशा लोक सेवा आयोग द्वारा दोनों रिक्तियों को एक साथ कर दिया गया, 300 रिक्तियों में (अनारक्षित- 54, एसईबीसी- 54, एससी- 69 (36+33), एसटी- 109 (64+45), पीएच- 6, ईएक्सएम- 6 और स्पोर्ट्स – 2) सीटें थी। 671 उम्मीदवारों की एक मेधा सूची जारी की गई। गृह विभाग द्वारा विभिन्न श्रेणियों के उम्मीदवारों की विभिन्न विभागों में सन् 1997 से 1999 के दौरान कनिष्ठ सहायक के रूप में नियुक्त की गई। गृह विभाग द्वारा पद-क्रम सूची में पूर्ववर्ती( बैकलॉग) रिक्तिवाले अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के कनिष्ठ सहायकों की स्थिति क्रमानुसार वर्ष 1996 की रिक्ति वाले अन्य उम्मीदवारों से नीचे रखी गई थी।

6. ओडिशा मंत्रालयी सेवा 1951 के तहत सफल अभ्यर्थियों की सूची में अनुसूचित जाति-जनजाति की संख्या पर्याप्त नहीं होने पर अलग चयन प्रक्रिया आयोजित की जानी थी। आयोग द्वारा वर्ष 1991-92 के कनिष्ठ सहायकों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति-जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या मांग के अनुरूप होने के कारण अलग चयन प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए ओडिशा लोक सेवा आयोग द्वारा सामान्य नियुक्ति प्रक्रिया अपनाई गई, इसे पूर्ववर्ती (बैकलॉग) रिक्तियां नहीं मानी गई। इसलिए नियुक्ति प्रक्रिया में अंतर वरिष्ठता विसंगति नहीं है।

7. आयोग द्वारा अभ्यावेदक को पहले अपना पक्ष रखने को कहा गया, अभ्यावेदक ने बताया कि दो अलग-अलग रिक्तियां थी, उक्त नियुक्ति प्रक्रिया वर्ष 1991-92 की पूर्ववर्ती (बैकलॉग) रिक्तियां थीं जबकि दूसरी सामान्य भर्ती प्रक्रिया 1996 थी। आयोग द्वारा दोनों की अलग-अलग नोटिस जारी की गई थी। इसमें ओपीएससी द्वारा दो अलग-अलग मेधा सूची जमा किया जाना चाहिए था। इसमें ओपीएससी द्वारा दो अलग-अलग रिक्ति के कुल 300 सीटों के बदले 671 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई।

8. वर्ष 91-92 की पूर्ववर्ती रिक्ति के लिए ओपीएससी द्वारा पोस्ट व सेवा में रिक्ति के लिए ओडिशा में आरक्षण के एक्ट 1975 का अनुपालन नहीं किया गया है। अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए 100 सीटों वाली रिक्ति पूर्ववर्ती (बैकलॉग) रिक्ति थी इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए था। वर्ष 2002 में वरिष्ठता सूची में निचले स्थान

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

पर रखा गया जबकि वर्ष 1996 के सामान्य उम्मीदवारों की तुलना में हमारी वरिष्ठता अधिक थी।

9. मामले में ओडिशा सरकार की ओर से उपस्थित गृहविभाग के अतिरिक्त सचिव को अपना पक्ष रखने को कहा गया, अतिरिक्त सचिव ने बताया कि ओडिशा लोक सेवा आयोग द्वारा दोनों भर्तियों को एक साथ संयुक्त कर दिया गया था। ऐसे में यह पूर्ववर्ती (बैकलॉग) भर्ती नहीं होकर एक सामान्य भर्ती प्रक्रिया थी। सामान्य भर्ती प्रक्रिया के अनुसार आरक्षण के नियमों का अनुपालन किया गया। वर्ष 2002 की वरिष्ठता सूची में विभाग द्वारा उम्मीदवारों के क्रम के अनुसार वरिष्ठता सूची तैयार की गई है।

आयोग के निष्कर्ष :

दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग निम्नानुसार अनुशंसा करता है :

1. वर्ष 1991-92 की 100 बैकलॉग रिक्तियों, जिनमें से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 36 पद थे तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 64 पद थे, को बाद में वर्ष 1996 में आई 200 रिक्तियों (अनारक्षित 54, एसईबीसी 6 और स्पोर्ट्स 6) के साथ जोड़ा जाना उचित एवं नियमानुकूल नहीं था क्योंकि बैकलॉग के पदों को एक 'distinct group' माने जाने का निर्देश कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने दिया है।
2. वर्ष 1991-92 के इन बैकलॉग पदों पर यदि ओपीएससी के माध्यम से भर्ती की गई होती तो अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के ये लोग वर्ष 1996 की रिक्तियों में भर्ती हुए सामान्य लोगों से वरिष्ठ होते।
3. दोनों भर्तियों को संयुक्त किए जाने के कारण अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी जो 1991-92 की रिक्तियों के विरूद्ध चयनित हुए थे, सामान्य वर्ग के कर्मियों से कनिष्ठ हो गए हैं।
4. राज्य सरकार के गृह विभाग एवं ओपीएससी में पृथक-पृथक विज्ञापन रिक्ति वर्षवार मेरिट सूची तैयार रखी जानी चाहिए थी जिससे अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों को कनिष्ठ बना दिया गया है।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अनुशंसा :

राज्य सरकार मेधा सूची (वरिष्ठता सूची) में से नियुक्त किए गए सभी उम्मीदवारों में से वर्ष 1991-92 और 1996 की रिक्तियों को पृथक-पृथक करें और उक्त सूची में से अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के क्रमशः 36 एवं 64 उम्मीदवारों को वरिष्ठता सूची में लर्ष 1996 के सामान्य व अन्य श्रेणी के कर्मचारियों से ऊपर स्थापित करें क्योंकि उनके साथ न्याय हो सके। इस संबंध में आयोग को कार्रवाई रिपोर्ट 1 माह में भिजवाई जाए।

26.3.019

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट - क

# राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(SKD/6/2018/STGOR /DEOTH/RU- III)

श्री सुकांत कुमार दास, महासचिव ओडिशा एससी-एसटी कर्मचारी कल्याण सहयोग आयोग, सचिवालय शाखा, भुवनेश्वर, ओडिशा द्वारा ओडिशा सचिवालय के गृह विभाग में 2015 के पद-क्रम सूची में सहायक अनुभाग अधिकारी की वरिष्ठता निर्धारित के संबंध में आयोग को दिए गए अभ्यावेदन के मामले में श्री नन्द कुमार साय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 12/02/2019 को आयोग में आयोजित सिटिंग में उपस्थित अधिकारियों/ कर्मचारियों की सूची –

- **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**

| | | |
|---|---|---|
| (1.) | श्री नंद कुमार साय, | माननीय उपाध्यक्ष महोदय |
| (2.) | श्री हरिकृष्ण डामोर, | माननीय सदस्य |
| (3.) | श्री शिशिर कुमार रथ, | संयुक्त सचिव |
| (4.) | श्री आर. के दूबे, | सहायक निदेशक |
| (5.) | श्री आलोक कुमार द्विवेदी, | परामर्शक |

- **गृहविभाग, ओडिशा सरकार**

| | | |
|---|---|---|
| (1.) | श्री बी. सी, प्रुस्टी, | अतिरिक्त सचिव |

- **अभ्यावेदक**

(1.) श्री सुकांत कुमार दास